





अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मंगे खान पुत्र लाखा खान जाति मुसलमान, निवासी सुटडगढ तहसील शिव, जिला बाङमेर		निजाम पुत्र लाखा खान जाति मुसलमान, निवासी सुटडगढ तहसील शिव, जिला बाङमेर वगैरा (04)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 53, 188)

मुकदमा नम्बर 18/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22.01.2025	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री अभयसिंह राठौड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक ... 10.03.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (SDO) शिव </p>	
10/3/2025	<p>पत्रावली आप पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित, प्रतिवादीगण की तामील हेतु पत्रावली दि. 9/4/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (SDO) शिव </p>	
9.4.25	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इलतवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 15.4.25 को पेश हो।</p>	
15.5.25	<p>पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण की तामील हेतु पत्रावली दिनांक 22.5.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (SDO) शिव </p>	
29/05/2025	<p>पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तामील हेतु सबसर पत्रावली दिनांक 30/06/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (SDO) शिव </p>	



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


अहमद
महसुब
मं जासी

10.06.24

वादी वकील द्वारा पत्रावली तलब कर
लगीत सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश
का निवेदन करने पर पत्रावली तलब
होकर पेश हुई।

वादी एवं प्रतिवादी संजम 1 से 3 उपस्थित।
वादी वकील द्वारा इक्त वाद में
पञ्जकारान् के मध्य आपसी सहमति
एवं लोके अदालत की भावना से
राजीनामा होने पर वाद जल्ले विद्दे
खारिज करने का प्रार्थना पत्र पेश
किया गया। उपस्थित पञ्जकारान् द्वारा
भी उनके मध्य राजीनामा होने से
वाद खारिज करने का ठाठ सहमति
प्रदान की गई। अतः पञ्जकारान् के
मध्य सहमति होने तथा अंग्रेज की
कार्यवाही नहीं चाहते पर वाद विद्दे
खारिज करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर इक्त वाद को इसी
स्टेज पर जल्ले विद्दे खारिज किया
जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर
डाखिल इफ्तार हो।


सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) शिव


अ.नि. मन्सूर


अ.नि. दली


अ.नि. जमाल


अ.नि. निजाम